

संख्या: बीएलएस-एडीआरए-1(855)/2016
कार्यालय उपायुक्त बिलासपुर,
जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ।

बिलासपुर, दिनांक

2017

प्रेषक:

उपायुक्त बिलासपुर,
जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ।

प्रेषित:

अध्यक्ष,
उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति एवं
उप-मण्डल अधिकारी (ना0) सदर,
जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ।

1631

27-7-2017

विषय:-

FRA Certificate (Under FRA 2006) of following Scheme.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय पत्र संख्या: 52351 दिनांक 20.07.2017 में सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि दिनांक 22.07.2017 को उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित कार्यो हेतु वन भूमि अन्तर्गत के लिए एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है:-

Sr.No.	Total Land	Purpose.
1.	05.53.34 hectare	Diversion of forest land for the construction of link road to Khal Tiba, Tehsil Sri Naina Devi Ji.
2.	04.89.00 hectare	Diversion of forest land for the construction of link road from Lagghat to Baddu, Teshil Sadar.
3.	00.82.50 hectare	Diversion of forest land for the construction of link road to Village Badoh, Tehsil Sri Naina Deviji.
4.	01.35.10 hectare	Diversion of forest land for the construction of link road to Village Dhanswain, Tehsil Sri Naina Deviji.
5.	1.58.80 hectare	Diversion of forest land for the construction of link road to Village Seotha, Tehsil Sri Naina Deviji.
6.	03.12.08 hectare	Diversion of forest land for the construction of link road from Kharkri to Bhatar, Tehsil Sri Naina Deviji.
7.	01.69.50 hectare	Diversion of forest land for the construction of link road to Bhatar to Kanfara, Tehsil Sri Naina Deviji.
8.	03.46.00 hectare	Diversion of forest land for the construction of link road from Vill. Galwa to Vill. Chalilla via Kalari, Tehsil Sri Naina Deviji.
9.	0.06.63 hectare	Diversion of forest land for the construction of Sub-Divisional Police Officer, Office building at Village Modar, Tehsil Sri Naina Deviji.
10.	02.72.25 hectare	Diversion of forest land for the construction of Govt. Degree College, Sri Naina Devi Ji at vill. Modar, Tehsil Sri Naina Devi Ji.

भवदीय,

जिला राजस्व अधिकारी,
जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ।
दिनांक 28-7-2017.

पृष्ठांकन संख्या:- यथोपरि- 33832
प्रतिलिपि:-

1. अधिशाषी अभियन्ता, हि0प्र0लो0नि0वि0 मण्डल न02, बिलासपुर को उपरोक्त वर्णित क्रमांक संख्या: 1 से 8 तक के एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र व कार्यवाही की प्रति सहित आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
2. उप-मण्डल पुलिस अधिकारी, श्रीनयनादेवीजी, जिला बिलासपुर को उपरोक्त वर्णित क्रमांक संख्या: 9 का एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र व कार्यवाही की प्रति सहित आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय स्नातक महाविद्यालय, श्रीनयनादेवीजी, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 को उपरोक्त वर्णित क्रमांक संख्या: 10 का एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र व कार्यवाही की प्रति सहित आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

38-A

FORM-I
(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

Dated 2-7-2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05th February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **05.53.34 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **H.P.P.W.D. for the construction of link road Khal Tiba** in Bilaspur district falls within the jurisdiction of Saloa village in Sri Naina Devi ji Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **05.53.34** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure V;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (e) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.


Rugved Thakur (I.A.S.)
Dputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.

FRA Certificate (Under FRA 2006) to be issued By District Level Committee.

Proceedings of the meeting of District level Committee constituted under Scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Bilaspur constituted under FRA 2006 was held under the Chairpersonship of Sh. Rugved Thakur (I.A.S.) Deputy Commissioner, Bilaspur on 22-07-2017 at 11-00 A.M.. at Bilaspur in which the following application was discussed and approved in view of recommendations made by the Sub Divisional Level Committee of Sadar Sub Division.

Sr.No.	Total Land	Purpose.
1.	05.53.34 hectare	Diversion of forest land for the construction of link road to Khal Tiba, Tehsil Sri Naina Devi Ji.
2.	04.89.00 hectare	Diversion of forest land for the construction of link road from Lagghat to Baddu, Teshil Sadar.
3.	00.82.50 hectare	Diversion of forest land for the construction of link road to Village Badoh, Teshil Sri Naina Deviji.
4.	01.35.10 hectare	Diversion of forest land for the construction of link road to Village Dhanswain, Tehsil Sri Naina Deviji.
5.	1.58.80 hectare	Diversion of forest land for the construction of link road to Village Seotha, Tehsil Sri Naina Deviji.
6.	03.12.08 hectare	Diversion of forest land for the construction of link road from Kharkri to Bhater, Tehsil Sri Naina Deviji.
7.	01.69.50 hectare	Diversion of forest land for the construction of link road to Bhater to Kanfara, Tehsil Sri Naina Deviji.
8.	03.46.00 hectare	Diversion of forest land for the construction of link road from Vill. Galwa to Vill. Chalilla via kalari, Tehsil Sri Naina Deviji.
9.	0.06.63 hectare	Diversion of forest land for the construction of Sub-Divisional Police Officer, Office building at Village Modar, Tehsil Sri Naina Deviji.
10.	02.72.25 hectare	Diversion of forest land for the construction of Govt. Degree College, Sri Naina Devi Ji at vill.Modar, Tehsil Sri Naina Devi Ji.

1. Amarjeet Singh Bangga,
Zila Parishad. (Member)

2. Pushpa Kumari,
Zila Parishad. (Member)

3. Meena Devi,
Zila Parishad. (Member)

4. Saroj Bhai Patel,
D.F.O.
Distt. Bilaspur(H.P)
(Member)

5. Rugved Thakur (I.A.S.)
Deputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.
(Chairperson)

No. BLS-SDM-SDK-FRA/2015:-

Date:-

To

The Deputy Commissioner-Cum-Chairperson,
District Level committee,
Distt. Bilaspur, (H.P.)



Sub:-

Proceedings of meeting of Sub-Division Level Committee regarding FRA certificate for diversion of forest land measuring 05.53.34 Hac. proposed for the construction link road to Khal Tiba Tehsil- Sri Naina Deviji District Bilaspur.

Sir,



The meeting of the Sub-Divisional level Committee of Bilaspur Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was conducted on dated 16-06-2017 in which case for the diversion of forest land measuring 05.53.34 Hac. for the construction of link road to Khal Tiba Tehsil- Sri Naina Deviji District Bilaspur under FRA, 2006 which has been dully processed and recommended by the FRC Saloa was considered, discussed and is recommended for admission to District Level Committee.

The complete case is submitted for further necessary action, please.

DA:- As above

Yours faithfully,

SDO (Civil)-Cum- Chairman,
Sub-Division Level Committee,
Sub-Division, Sadar

100-4956

Dated 5-07-2017

Copy to: - The Executive Engineer, Bilaspur Division No.2, District Bilaspur for information please.

उप-मण्डल अधिकारी (ना0)
सदर, जिला बिलासपुर (छ.प्र.)

As per record! Attested to be true
copy

SDO (Civil)-Cum- Chairman
Sub-Division Level Committee,
Sub-Division, Sadar

Proceedings of the meeting of Sub-Division Level Committee of Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 held on 16-06-2017 at Bilaspur under the Chairmanship of Sub-Division Magistrate, Bilaspur, (HP) regarding consideration and issuing FRA certificate for :-

Diversion of forest land measuring 05.53.34 Hac. for the construction of link road Khal Tiba, Tehsil- Sri Naina Deviji District Bilaspur.

The following officers/members were present in the meeting:-

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Dr. Harish Gajju, HAS
Sub-Divisional Magistrate, Bilaspur | Chairman |
| 2. | Sh. J.R Bhardwaj, Tehsildar-Sadar, Bilaspur | Member Secretary |
| 3. | Sh. Sukalp Sharma Assistant Conservator Officer
Bilaspur | Member |
| 4. | Sh. Daulat Ram, BDC Member | Member |
| 5. | Smt.Reena Devi, BDC Member. | Member |
| 6. | Sh. Rajesh kundi, AE, HPPWD | User agency |

At the outset, the Chairman welcomed all the participants in the meeting. The Sub-Division Level Forest right Committee was appraised about the case received under scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 from the Forest Rights Committee G.P. Saloa. The detail of the case as enlisted above is as follow:-

The report regarding diversion of forest land measuring 05.35.34 Hac. for the construction of link road to Khal Tiba, Tehsil- Sri Naina Deviji District Bilaspur has been received along with proceedings of the Forest Right Committee G.P. Saloa, Tehsil Sri Naina Deviji Distt. Bilaspur (HP). No objections have been received at both the Gram Panchayats level; neither any objection has been filled at Sub-Division level by P.R.I. representatives and other members.

The case contained all the requisite certificates and proceedings; hence the committee recommends the said case for approval to District Level Committee.

The meeting ended with the vote of thanks to the Chair and members.

Sub-Division Magistrate-cum-Chairman,
Sub-Division Level Committee,
Sub-Division Sadar, Bilaspur

सप-अण्डल विकारी (ना0)
सदर. जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

As per record
Attested to be true copy

**OFFICE OF THE S.D.O. (CIVIL), BILASPUR
DISTRICT BILASPUR (HP).**

**Proceedings of the meeting of Sub-Divisional Level Committee constituted under
Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act
(FRA), 2006.**

A meeting of the Sub-Divisional level Committee of **Bilaspur** Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/Chairpersonship of **Dr. Harish Gajju**, SDO (Civil), **Bilaspur** on dated 16-06-2017 at **11.00 AM** at **Bilaspur** (Place) in which the application (s) of the applicant (s) of **Executive Engineer, Bilaspur Division No.2** claiming rights in **05.53.34 hectare** forest area (s) sought for diversion for the construction of **link road Khal Tiba (0/0km to 7/0km)**, Tehsil- **Sri Naina Deviji Distt, Bilaspur** under FRA, 2006, duly processed & recommended by the Saloa **Gram Sabha**, were discussed to consider the same for the recommendation to the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the claim of the following applicants were found to be in order and recommended for admission to the District Level Committee.

Sr. No.	Name of Applicant	Name of forest	Detail of Forest Right
1.	Executive Engineer, Bilaspur Division No.2	Khal	

OR

Claim of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right

Place: **Bilaspur**

Date: **16-06-2017.**

उप-मण्डल अधिकारी (ना०)
बिलसपुर, जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson,
Sub-Division Level Committee,
Bilaspur, Sub-Division.



नकल प्रस्ताव-9

आज दिनांक 2-10-2014 को ग्राम पंचायत सेनलौडा

विकास खण्ड श्री जयनारी जी जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की बैठक प्रधान/उपप्रधान/पंच

श्री मति कक्का सुदेश कुमारी

की अध्यक्षता में हो कर निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई उपस्थित 180 484

प्रस्ताव:- PMRY के अन्तर्गत नि लिफ शैड खाल टिब्बा खाल से टिब्बा तक निर्माण पर जगपति प्रमाण पत्र देने के लिए

श्री ग्राम सभा की ग्राम सभा ने प्रस्ताव पेश किया अध्यक्ष महोदय ने अनुमोदन किया कि ग्राम सभा सदस्यों के समक्ष PMRY में अन्तर्गत निर्माण लिफ्ट खाल टिब्बा तक निर्माण पर ग्राम सभा सेनलौडा को कोई भी आपत्ति नहीं है।

प्रस्ताव जगामी कार्यवाही हेतु महीदय जी की सेवा में प्रेषित है।

सर्व संमति से विचार विमर्श उपरान्त पारित हुआ कि प्रतिलिपि प्रस्ताव सेवा में श्रीमान साहयक जगमियता लोक निर्माण विभाग (C.D.O. P.W.D) श्री जयनारी जी

जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश प्रस्तुत करके प्रार्थना की जावे कि इस प्रस्ताव पर अमल करके की गई कार्यवाही से यथा शीघ्र पंचायत को अवगत करने की कृपा करें। प्रमाणित किया जाता है कि नकल मुताबिक असल है और जिस लेख की यह प्रतिलिपि है वह पंचायत अभिलेख में विद्यमान है।

SECRETARY
GRAM PANCHAYAT
DEV BLOCK SHRI NAINA DEVI
AT SWARGHAT, BILASPUR (H.P.)

बैठक कार्यवाही ग्राम सभा
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा

प्रस्ताव संख्या

प्रतिलिपि प्रस्ताव

सलीआ

ग्राम

सभा

सलीआ

दिनांक

02-10-2014 को

10

बजे

स्थान सलीआ

की बैठक आज दिनांक

सुपुष कुमारी

की अध्यक्षता में की गई जिसमें

सली

गांव के अनुसूचित जनजाति और

अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

स्वातंत्र्य

जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें)

लिंक सड़क गांव सलीआ

टिब्बा

के निर्माण के लिए

5.5334

हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की

मंजूरी प्रस्तावित है। 1) बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया:-

क्रमांक	पात्र गांववासी का नाम	गांव का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	रमेश चन्द	सलीआ	
	विलास कुमार	"	
	शैलेश कुमार	"	
	मोहरी राज	"	

बैठक में वन अधिकार समिति सलीआ (को-ऑपरेटिव) द्वारा अनुसूचित (उद्देश्य) के लिए
सलीआ निजालि विभाग के पक्ष में दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के ऊपर विचार विमर्श किया
गया तथा संवत्समाप्ति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि राजस्थान गांव सलीआ (को-ऑपरेटिव) में भूमि
संवत्समाप्ति के लिए अनुसूचित (उद्देश्य) के लिए
अनापत्ति करने पर इस ग्राम सभा को कोई एतराज नहीं है क्योंकि उक्त गांव में अनुसूचित जनजाति
अधिनियम, 2006 के तहत कोई मामला
नहीं है।
यह ग्राम सभा अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करती है।

सलीआ

02-10-2014

सलीआ

प्रमाण

ग्राम प्रचारक

सलीआ

सचिव

ग्राम प्रचारक

रमेश चन्द सुपुष कुमारी
शांति सलीआ और सलीआ
हैक्टयर वन भूमि के उपयोग
के लिए अनुसूचित (उद्देश्य)

Roshan Lal

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा अनौडा
प्रतिलिपि प्रस्ताव
दिनांक 02.10.2014

ग्राम सभा अनौडा की बैठक आज दिनांक 02.10.2014 को 10.00 बजे, स्थान अनौडा में श्री / श्रीमती सुदेवा अग्रवा की अध्यक्षता में की गई जिसमें अनौडा (2000) रिजर्व के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंगल/ वन क्षेत्र में (जिसमें लोक निजि विभाग द्वारा अनौडा निजि के अधीन है) 5-53-34 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के दावों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर निरूपित चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
<u>अनौडा 20 रिजर्व</u>	<u>अनौडा</u>	
<u>अनौडा रिजर्व</u>		

अनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे छप-खण्ड स्तर की प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

पात्र ग्रामवासी का नाम

यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या
ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार अनौडा जंगल/वन क्षेत्र में वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

अनौडा
02.10.2014

अधिकृत दस्तावेज कर्ता
ग्राम सभा

ग्रामवासियों को ज्ञान जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए प्रेषित है।

उनके नाम निम्नलिखित हैं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग के लिए।

अनौडा

अनौडा

अनौडा

वैतक कार्यवाही वन अधिकार समिति खालड़ा (खाल टिक्वा) ग्राम खालड़ा तहसील श्री बांकी जिला बिलासपुर, छि०प्र०।
 आज दिनांक 02-10-2014 को वन अधिकार समिति ग्राम खालड़ा की बैठक अध्यक्ष श्री बांकी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य मौजूद

क्रमांक	नाम व पिता/पति का नाम	पद नाम	ग्राम	जाति	हस्ताक्षर
1.	<u>रमेश चन्द्र डेम सिंह</u>	<u>अध्यक्ष</u>	<u>खाल</u>	<u>NSC</u>	<u>Ram Chandra</u>
2.	<u>विजय कुमार डोगाराम</u>	<u>उपाध्यक्ष</u>	<u>खाल</u>	<u>ST</u>	<u>Vijay Kumar</u>
3.	<u>रोशन लाल बल्लभ</u>	<u>सफरानचिव</u>	<u>खाल</u>	<u>NSC</u>	<u>Roshan Lal</u>
4.	<u>काशी राम भूमाधो राम</u>	<u>सदस्य</u>	<u>खाल</u>	<u>NSC</u>	<u>Kashi Ram</u>
5.	<u>केल राम भूमाधो राम</u>	<u>सदस्य</u>	<u>खाल</u>	<u>ST</u>	<u>Kel Ram</u>
6.	<u>राज कुमार भूमाधो राम</u>	<u>सदस्य</u>	<u>खाल</u>	<u>OBC</u>	<u>Raj Kumar</u>
7.	<u>लाहरी राम भूमाधो राम</u>	<u>सदस्य</u>	<u>खाल</u>	<u>ST</u>	<u>Lahari Ram</u>
8.	<u>अम्मा देवी भूमाधो राम</u>	<u>सदस्य</u>	<u>खाल</u>	<u>OBC</u>	<u>Amma Devi</u>
9.	<u>जयपाल भूमाधो राम</u>	<u>सदस्य</u>	<u>खाल</u>	<u>NSC</u>	<u>Jaypal</u>
10.	<u>गुफाल सिंह भूमाधो राम</u>	<u>सदस्य</u>	<u>खाल</u>	<u>ST</u>	<u>Gufal Singh</u>

वन अधिकार समिति ने राजस्व विभाग के पटवारी/कानूनी श्री रोशन लाल तथा वन विभाग के वन अधिकारी विजय कुमार के साथ भूमि खसरा नम्बर श्री बांकी संख्या 79 की 5 विघा जिसके सन्दर्भ में सड़क निर्माण (उद्देश्य) के लिए अनापति प्रमाण पत्र (विभाग का नाम) श्री बांकी विभाग ने चाहा है का मौका पर निरीक्षण व्यक्तिगत तौर पर किया गया और छानबीन निम्न प्रकार से की गई:-

1. उक्त भूमि का नक्शा / तहसील पटवारी तथा वन रक्षक ने समिति के समक्ष बनाया।
2. उक्त भूमि पर समिति ने गांववासियों से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत दावे मांगे तथा किसी प्रकार का कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ।
3. उक्त भूमि पर मद्दी गुज्जर या अन्य घुमन्तु समुदायों का किसी प्रकार का दावा समिति के समक्ष पेश ना हुआ तथा समिति मानती है कि किसी समुदाय का ऐसा कोई दावा इस भूमि पर नहीं है।
4. आगे बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने (उद्देश्य) सड़क निर्माण हेतु समझने उपरान्त समिति से यह निर्णय लिया कि ग्राम खालड़ा अर्थात् उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि का आने पर कोई आपत्ति नहीं है। सड़क निर्माण के निर्माण के लिये उपयोग में आने वाले वन भूमि की अनुमति यदि उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है। यह अनुमति वन अधिकारों के अन्तर्गत अधिनियम 2006 के तहत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव गांववासियों से परिसर व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र जारी की अनुमति है।

मुख्य कार्यवाही खालड़ा तहसील श्री बांकी जिला बिलासपुर, छि०प्र०।
 आज दिनांक 02-10-2014 को वन अधिकार समिति ग्राम खालड़ा की बैठक अध्यक्ष श्री बांकी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य मौजूद

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा २२/१२/२०२०

प्रतिनिधि प्रस्ताव

02.10.2014

(iii) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

24. $\frac{9}{10}$ 311

(गि) बैठक आज दिनांक

02.03.16

क) 10.4 m

$$\frac{d\overline{x}}{dt}$$

यं योऽपि नृपः

सुदेश काशी

की अध्यक्षता में की गई जिसमें स्वात

29/11

2406



अन्तिम

291A

अ. म. २०००

 Springer
$$\langle \chi | \hat{H} | \chi \rangle = \langle \chi | \hat{H}_0 | \chi \rangle + \langle \chi | \hat{H}_1 | \chi \rangle$$

के निर्माण के लिए

5-53-34

के निर्माण के लिए 5-53-34

गाम पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

पात्र का नाम	जंगल का नाम

अपनी समझ के साथ / इन बातों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की रीति को प्रेषित करती है।

निम्नलिखित पाठों का बोधा विधमानुसार सही नहीं पाया गया :-

इसका / हृदय को निरस्त करती है।

2000

जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन

Richard

कार्यवाही रजिस्टर

पेज नं०

जिला

क्र	उपस्थित सदस्यों के नाम	दि ७/११/२०२० ई	रोड से बांधवा सड़क	कार्यवाही जो सम्पन्न हुई	रकम
39	बेदायल निवासी/ बेसायल रास्ता	16	कमलेश्वर निवासी/ भादवा		₹ 54000
40	दावागार/ साहूरा/ रास्ता	16	कमलेश्वर निवासी/ भादवा		₹ 44200
41	कामागार/ साहूरा/ रास्ता	17	सुरदासगार/ भावा/ भादवा/ जार		₹ 44000
42	साल्वर/ रास्ता/ साहूरा/ रास्ता	18	चिन्मय/ रास्ता/ साहूरा/ रास्ता/ जार		₹ 44000
43	साल्वर/ रास्ता/ साहूरा/ रास्ता	19	चिन्मय/ रास्ता/ साहूरा/ रास्ता/ जार		₹ 44000
44	दावागार/ साहूरा/ रास्ता	20	चिन्मय/ रास्ता/ साहूरा/ रास्ता/ जार		₹ 44000
45	दावागार/ साहूरा/ रास्ता	21	चिन्मय/ रास्ता/ साहूरा/ रास्ता/ जार		₹ 44000
46	दावागार/ साहूरा/ रास्ता	22	चिन्मय/ रास्ता/ साहूरा/ रास्ता/ जार		₹ 44000
47	दावागार/ साहूरा/ रास्ता	23	चिन्मय/ रास्ता/ साहूरा/ रास्ता/ जार		₹ 44000
48	दावागार/ साहूरा/ रास्ता	24	चिन्मय/ रास्ता/ साहूरा/ रास्ता/ जार		₹ 44000
49	दावागार/ साहूरा/ रास्ता	25	चिन्मय/ रास्ता/ साहूरा/ रास्ता/ जार		₹ 44000
50	दावागार/ साहूरा/ रास्ता	26	चिन्मय/ रास्ता/ साहूरा/ रास्ता/ जार		₹ 44000
51	दावागार/ साहूरा/ रास्ता	27	चिन्मय/ रास्ता/ साहूरा/ रास्ता/ जार		₹ 44000
52	दावागार/ साहूरा/ रास्ता	28	चिन्मय/ रास्ता/ साहूरा/ रास्ता/ जार		₹ 44000
53	दावागार/ साहूरा/ रास्ता	29	चिन्मय/ रास्ता/ साहूरा/ रास्ता/ जार		₹ 44000
54	दावागार/ साहूरा/ रास्ता	30	चिन्मय/ रास्ता/ साहूरा/ रास्ता/ जार		₹ 44000
55	दावागार/ साहूरा/ रास्ता	31	चिन्मय/ रास्ता/ साहूरा/ रास्ता/ जार		₹ 44000

कार्यवाही रजिस्टर

五十四

2017-18-19-20

[illegible]

(3) तैलु राम डा. चौधुरे राफ भू. २७७ डा. सुभाषी (२७७) म. १११
म. १११ (२७७) म. १११ (२७७) म. १११

31/10/2019

19 07 5 2

प्राप्त पंचायत सलोआ
प्र. ०२०. श्री काणा देवी जी
मियात जल्लाबाट, गिलासपुर (प्र. ०२०.)